बाल यौन शोषण की मूलभूत जानकारी

1. बच्चा कौन होता है?

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधिपत्र, किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम, 2000 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति बच्चा होता है ।

2. बच्चों से यौन दुव्यर्वहार क्या है?

बच्चों से यौन दुव्यर्वहार तब होता है जब कोई व्यक्ति (उस बच्चे से उम्र में छोटा या बड़ा, पुरूष या स्त्री), बच्चे (लड़के या लड़की) को यौन क्रियाओं में शामिल करता है।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में यौन दुव्यर्वहार और शोषण के तीन प्रकार निर्दिष्ट किए गए हैं: लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न, और अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करना। विस्तृत विवरणों के लिए पढ़ें - 'पोक्सो क्या है?'

3. पेडोफिलिया क्या है?

पेडोफिलिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें व्यक्ति सामान्यतः 13 वर्ष या इससे छोटे बच्चों के प्रति स्थायी रूप से यौन इच्छा रखता है– रे ब्लांचर्ड, पीएचडी, साइकियाट्री (मनोचिकित्सा) प्रोफेसर, टोरंटो विश्वेविद्यालय (टोरंटो यूनिवर्सिटी)

4. अगम्यागमन/इंसेस्ट क्या है?

पारिवारिक सदस्यों अथवा निकट संबंधियों के मध्य यौन क्रिया, इंसेस्ट कहलाती है। पोक्सो कानून में इंसेस्ट के मामलों को गंभीर अपराध माना गया है।

5. भारत में कितने बच्चे यौन दुव्यर्वहार से पीड़ित हैं?

लगभग रोजाना हमारे अखबारों में बच्चों से यौन दुव्यर्वहार की खबरें हम पढ़ते हैं। हमें बहुत कम मामलों की जानकारी हो पाती है। बच्चों से यौन दुव्यर्वहार के अनेक अपराध कभी सामने नहीं आ पाते। अधिकांश मामलों की कभी रिपोर्ट नहीं की जाती।

अतीत में एक गैर-अधिकृत अध्ययन में बताया गया था कि भारत में सभी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियों के 53% से अधिक बच्चे यौन दुर्व्यवहार के शिकार हैं। हालांकि ग्रस्त, यौन शोषित और उत्पीड़ित बच्चों के विषय में कोई ठोस आंकड़े मौजूद नहीं हैं। अधिक जानने के लिए 'रिसर्च' अनुभाग देखें।

6. क्या बच्चों से यौन दुव्यर्वहार का सदैव अर्थ'स्पर्श करना' होता है?

बच्चों से यौन दुव्यर्वहार में स्पर्श और स्पर्शरहित व्यवहार शामिल है।

यौन दुर्व्यवहार के स्पर्शरहित कुछ व्यवहार निम्न हैं:

1. अपशब्द कहना और धमकाना
2. ऑनलाइन यौन दुर्व्यवहार
3. बच्चे को पोर्नोग्राफी (ब्लू फिल्म) दिखाना
4. बाल पोर्नोग्राफी (ब्लू फिल्म) देखना और रखना
5. अनुचित प्रदर्शन, जैसे कि जानबूझकर बच्चे को वयस्क जननांग दिखाना या बच्चे से ऐसा करवाना
6. यौन प्रवृत्ति से बच्चे के फोटोग्राफ लेना
7. बच्चे को यौन क्रियाएं देखने या सुनने के लिए प्रेरित करना
8. अनुचित रूप से बच्चे को निर्वस्त्र देखना या बॉथरूम में देखना

7. क्या बाल यौन शोषण के सभी अपराधी पुरूष होते हैं?

शैलजा घोले महाराष्ट्र में मुंबई के निकट कावदास की निवासी है। वह मानसिक अक्षमताग्रस्त बच्चों के लिए अपने पति द्वारा संचालित एक अनाथालय में अनेक बच्चों के विरूद्ध क्रूरता, बलात्कार और हत्या के अपराधों में सहयोग देने और उकसाने के अपराध में सात साल की सजा काट रही है।

बच्चों से यौन दुव्यर्वहार के ज्यादातर मामलों में पुरूष इस अपराध हेतु आरोपित किए जाते व दोषी सिद्ध किए जाते हैं।

लेकिन दुनिया भर में अनेक ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जिनमें महिलाओं को उकसाने वाला और प्रोत्साहन देते पाया गया है। बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा के मामले में हमें जेंडर (लिंग) उदासीन नजरिया अपनाना चाहिए।

8.क्या लड़कियों और लड़कों दोनों के साथ यौन दुर्व्यवहार होता है

18 वर्ष आयु होने से पहले

6 में से 1 लड़का किसी न किसी प्रकार के यौन दुर्व्यवहार का अनुभव करता है

4 में से 1 लड़की किसी न किसी प्रकार के यौन दुर्व्यवहार का अनुभव करती है

एकाधिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि दुर्व्यवहार के प्रति लड़के, लड़कियों से कम असुरक्षित नहीं होते। सभी बच्चों को यौन दुव्यर्वहार से सुरक्षा की आवश्यकता होती है,उनका जेंडर (लिंग) चाहे जो हो।

9. बच्चे यौन दुव्यर्वहार के बारे में बताते क्यों नहीं?

बच्चे के नजरिए से यौन दुव्यर्वहार को समझना, हमारे लिए आवश्यक है।

1. कभी-कभी यौन दुव्यर्वहार बहुत बचपन से ही आरंभ हो जाता है। बच्चे के साथ यौन दुव्यर्वहार की शुरूआत और समाप्ति की कोई विशिष्ट आयु नहीं होती। बच्चे अपने अनुभवों को सही तरह से बता पाने में असमर्थ होते हैं। जब बच्चा कुछ कहना चाहता है तो अभिभावक उसे समझ नहीं पाते।

2. भारत में यौन और यौनिकता के विषय में बात करना शिष्ट नहीं माना जाता। अधिकांश बच्चे और वयस्क सोचते हैं कि स्पर्श या यौन दुव्यर्वहार के बारे में और जननांगों के बारे में खुलकर बात करना गंदी बात है। ऐसे परिवेश में बच्चे यह महसूस करते हैं कि उन्हें बुरा माना जाएगा और उन्हीं पर कलंक मढ़ दिया जाएगा।

3. दुव्यर्वहार करने वाले के परिवार में, समाज में, और बच्चे के जीवन में स्थिति को देखते हुए बच्चों को यह भय होता है कि उनकी बात का शायद विश्वास नहीं किया जाएगा। अगर दुव्यर्वहार करने वाला परिवार का व्यक्ति या परिवार का मित्र होता है, तो बच्चे बड़ों की निगाहों में उसे गिराने की वजह बनने से बचना चाहते हैं।

4. यदि बच्चे को सदैव बड़ों का सम्मान करना और उनकी बात मानना सिखाया गया हो, तो उनके लिए दुव्यर्वहार करने वाले की शिकायत करना या उसे मना कर पाना कठिन बन जाता है।

5. दुर्व्यवहार करने वाला, बच्चे को यौन क्रिया में शामिल होने और चुप्पी बरकरार रखने के लिए प्रलोभन देतें है।

6. दुर्व्यवहार के दौरान बच्चे को शर्म और ग्लानि के साथ कुछ आनंद की अनुभूति भी महसूस हो सकती है।

10. क्या बच्चों से यौन दुव्यर्वहार करने वाले व्यक्ति की कोई सामान्य पहचान होती है

(स्रोत–STOPITNOW.ORG)

नहीं। आप भीड़ में से यौन अपराधी को छांट नहीं सकते। बच्चों से यौन दुव्यर्वहार करने वाले लोग पिता, माता, सौतेले माता-पिता, दादा-दादी, चाचा, चाची, चचेरे भाई-बहन आदि कोई भी हो सकते हैं। वे पड़ोसी, आया, धार्मिक नेता, शिक्षक और कोच आदि भी हो सकते हैं। वे किसी भी वर्ग, जाति, धर्म के हो सकते हैं और समलिंगकामी (समलैंगिक) या विषमलिंगकामी हो सकते हैं। बच्चों से यौन दुव्यर्वहार करने वाले अधिकांश ज्ञात लोग पुरूष होते हैं, लेकिन उनमें कुछ महिलाएं भी होती हैं।

यह याद रखना महत्त्वपूर्ण है कि बच्चों से यौन दुव्यर्वहार करने वालों के लिए प्रयुक्त अनेक शब्द जैसे कि 'पेडोफाइल' या 'यौन अपचारी' प्रायः क्लीनिकल या कानूनी परिभाषाओं के कारण गलत तरीकों से समझ लिए जाते हैं। और, 'बच्चों के शिकारियों' या 'नरपिशाचों/कुकर्मियों' की प्रचलित छवियां हमारे लिए उन लोगों के अनुचित व्यवहारों को समझना या आंकलन कर पाना कठिन बना देती हैं, जिन्हें हम जानते होते हैं।

दुनिया भर में यह पाया गया है कि ऐसे अधिकांश कुकर्मी लोग परिवार, स्कूल, और पास-पड़ोस में परिचित तथा भरोसेमंद वयस्क ही होते हैं।

11. मैं यौन दुव्यर्वहार के पीड़ित की पहचान कैसे कर सकता हूँ (स्रोत- ENFOLDINDIA.ORG)

बच्चों से यौन दुव्यर्वहार के ज्यादातर मामले, अनजाने रह सकते हैं यदि हम जागरूक न हों और ऐसे लक्षणों पर निगाह न रखें जो इस ओर संकेत करने वाले हो सकते हैं। प्रत्येक मामले में उनके भिन्न व्यवहार के आधार पर बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार का अंदाजा लगाया जा सकता है।

एक प्रख्यात बाल मनोचिकित्सक द्वारा तैयार चार्ट नीचे दिया गया है, जो यौन दुव्यर्वहार के पीड़ित की पहचान करने में आपकी मदद कर सकता है।

स्पष्ट दुर्व्यवहार:

1. बच्चे द्वारा शिकायत

2. पता लग जाना (स्पष्ट)-गर्भधारण, बच्चे का यौन संक्रामक रोगों से ग्रस्त हो जाना, बच्चे के जननांगों पर चोटें होना

दुर्व्यवहार का संदेह:

3. यौन व्यवहार, बच्चे द्वारा स्पष्ट संकेत देना

4. स्पष्ट लक्षण जैसे कि अवसाद, मानसिक वेदना पश्चात तनाव विकार (सदमा)

5. व्यवहार में अकस्मात परिवर्तन- स्कूल जाने से मना करना, लोगों से कतराना

6. लक्षणों के पैटर्न- अचानक बिस्तर गीला करना शुरू कर देना, दर्द, पीड़ा, सामान्य सेहत बिगड़ना

जो बच्चे ज्यादा सहनशील होते हैं, जिन्हें धमकाया गया होता है, या प्रलोभित किया गया होता है, वे रिपोर्ट नहीं करते, संकेत नहीं देते या शिकायत नहीं कर पाते।

12.अगर मुझे पता चले कि किसी बच्चे से यौन दुव्यर्वहार किया गया हैतो मुझे क्या करना चाहिए?(स्रोत– ENFOLDINDIA.ORG)

☐ बच्चे को बताएं कि आप उसका विश्वास करते हैं।

☐ पहल करने, और मामले के बारे में आपको बताने के लिए बच्चे के साहस की तारीफ करें।

☐ बच्चे की भावनाओं को समझें।

☐ हादसे के बारे में यह स्पष्टीकरण मत मांगें कि क्या/कब/कहां/कैसे हुआ। बच्चे को उसकी सुविधा के हिसाब से बताने दें।

☐ बच्चे को बताएं कि यह उसकी गलती नहीं थी। गलती बड़े की थी। अपराध के लिए बड़ा ही दोषी है- चाहे पहली बार दुर्व्यवहार की शुरूआत होने पर बच्चा बता न सका हो,लेकिन दुर्व्यवहार जारी रहने के लिए बच्चा जिम्मेदार नहीं है।

☐ बच्चे को बताएं कि बच्चे के सहमत होने पर आप बच्चे की मदद के लिए अन्य वयस्कों (पारिवारिक सदस्यों, संस्थाओं, स्टाफ के सदस्यों) की मदद लेना चाहेंगे।

☐ गलत वादे ना करें, जैसे कि 'मैं दुर्व्यवहार करने वाले को जेल भिजवाकर रहूंगा। मैं उसे पीटूंगा, आदि।'

☐ बच्चे पर आरोप या दोष ना लगाएं, जैसे कि - 'तुम मदद के लिए क्यों नहीं चिल्लाए?' 'तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?' 'तुमने विरोध क्यों नहीं किया?' आदि। याद रखें, वह बच्चा है और दुर्व्यवहार करने वाला उस बच्चे का परिचित व्यक्ति होगा- जिस पर बच्चा भरोसा करता होगा और प्रेम करता होगा। हो सकता है कि दुर्व्यवहार करने वाले ने बच्चे को डरा-धमकाकर या ब्लैकमेल करके चुप रहने पर मजबूर किया हो।

☐ बच्चे को 'क्षमा करने', 'भूल जाने' या 'समझौता करने' के लिए न कहें।

अगर आपको लगे कि आप बच्चे की मदद करने में असमर्थ हैं, तो आप सदैव किसी सक्षम, समानुभूतिपूर्ण और प्रशिक्षित काउंसलर की मदद ले सकते हैं। किसी स्थिति में, आप सदैव बच्चे पर विश्वास करते हुए उसे स्वीकार कर सकते हैं और उसे प्यार तथा उसकी देखभाल करते रह सकते हैं। बच्चे के व्यवहार, लक्षणों, और सामना करने के कौशलों के आधार पर,मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों से सलाह लेनी चाहिए। गंभीर लक्षण, संदिग्ध या स्पष्ट आत्मघाती व्यवहार प्रकट होने पर ऐसे मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से तत्काल सलाह लेनी चाहिए जिसे बच्चों से यौन दुर्व्यवहार के मामलों में विशेषज्ञता प्राप्त हो।